

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2014

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरुण कुमार जोशी, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 6910 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2015

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार से अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल नेहरू नगर	गृह	-	लगभग 20 लाख	श्रीमती कंकुबाई जोशी माता जी के नाम पर धारित है।	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल भोपाल के भाड़ाक्रय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 में सेड किशतों में मेरे पिता स्व.श्री सोहन लाल जोशी द्वारा खरीदा गया। वर्ष 2008-09 में स्टेट बैंक आफ इंदौर से ऋण रुपये 1 लाख 80,000 लेकर वित्त वर्ष में ही मकान का निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2008-09 में बैंक की किशत प्रारंभ की गई है। किशतों का भुगतान वर्ष 2008-09 से 10 वर्षों के लिये किया जाना है जो निरन्तर किया जा रहा है।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम, 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: 

नाम:-अरुण कुमार जोशी

पद:-सहायक वर्ग-3